

14/5/2022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

वादीया	ब ना म	प्रतिवादी
मालूराम पुत्र घीसाराम जाट राजपुरा		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी

राजस्व वाद = वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act1955 एवं 136 R.L.Act1956 शुद्धि बाबत
वाद-पत्र नम्बर- 74 / 2022 GCMS No. 2022/147

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तारीख में जारी हुए
------------	-----------------------------------	---

06.05.2022

14.5.2022

वादी/प्रार्थी मालूराम पुत्र घीसाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी एक प्रार्थना-पत्र/वाद रेकर्ड दुरुस्ती अन्तर्गत धारा 88 R.T.Act 1955 एवं 136 R.L.Act 1956 के तहत प्रस्तुत किया। दर्ज रजिस्टर हो। पत्रावली वास्ते सुनवाई दिनांक 14.05.2022 को पेश हो।


उपखण्ड अधिकारी
कुचामनसिटी(नागौर)


प्रकरण आज लोक अदालत में पेश हुआ। प्रकरण का अवलोकन किया गया। वादी/प्रार्थी मालूराम पुत्र घीसाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी द्वारा एक प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर जमाबन्दी सम्मत 2075-2078 ग्राम राजपुरा पटवार मण्डल परेवड़ी के खाता नम्बर 89 खसरा नम्बर 179 मे वादी/प्रार्थी मालाराम पुत्र घीसाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी की राजस्व रेकार्ड में प्रविष्टि दर्ज है, जो अशुद्ध है।


वादी/प्रार्थी मालूराम पुत्र घीसाराम जाट निवासी राजपुरा तहसील कुचामनसिटी नाम सही है, तथा इसी अनुसार राजस्व रेकार्ड में शुद्ध प्रविष्टि दर्ज करने का निवेदन किया है। जिसके लिए बतौर साक्ष्य स्वरूप वादी द्वारा आधार नम्बर 956535010455, ड्राईविंग लाईसेंस RJ/37/2019004855 की छाया प्रति प्रस्तुत की है।

इस संबंध में हल्का पटवारी हल्का परेवड़ी भू.अ.नि जिलिया एवं तहसीलदार कुचामनसिटी से रिपोर्ट तलब की गई, रिपोर्ट में इन्होंने वादीया का उपरोक्तानुसार नाम एवं प्रविष्टि शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

अतः वादी का वाद-पत्र स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में शुद्ध प्रविष्टि किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। डिक्री पर्चा भरा जाकर शामिल मिसल किया जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।




सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक अधिकारी
कुचामनसिटी (जिला-नागौर)


उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

114-116